तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.5.19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी के जवाब, एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम निमाना की भूमि ख० नं० 868 रकबा 3.69 हेक्टर पर स्व० बाबूलाल पुत्र नारायण हि० 1/6 का अंकन रखवा कर स्वयं का नाम पर हिस्सा 1/3 किये जाने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी नं. 2 का प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम निमाना सं. 2072-75 खाता नं० 185, नकल जमाबंदी सं. 2068-71 खाता नं. 129, नकल जमाबंदी निमाना बन्दोबस्त 2004-24 खाता नम्बर खाता नं. 124 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। नकल जमाबंदी सं. 2004-24 खाता नं. 124 में ख. नं. 868 की भूमि प्रेमबिहारी पुत्र बालचंद हि. 1/3, बाबूलाल देवलाल पुत्र नारायण हि० 2/3 दर्ज है, जिसमें नामान्तरण नं. 445 से बाबूलाल के स्थान पर उत्तराधिकारी नेरकंवरबाई, धुमियाबाई, अवन्तिबाई, धुमियाँ व रामकुंवरबाई बेवा बाबूलाल का नाम दर्ज किया गया। नामा नं. 625 से जरिये हक त्याग द्वारा नेरकंवरबाई धुमियाबाई अवन्तिबाई व रामकुंवरबाई के स्थान पर उत्तराधिकारी का	2/5/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म व में ज
	नाम हि० 1/3 में दर्ज किया जाना प्रमाणित है। आगामी जमाबंदी 2068-71 में उदयनाथ का हिस्सा 1/3 को दर्ज रहने दिया परन्तु उसके पिता का नाम रेवनाथ के बकाया हिस्से 1/3 में लगभाग में दर्ज कर दिया जबकि मृतक बाबूलाल के स्थान पर तो अप्रार्थी नं. 1 उदयनाथ का नाम दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार जमाबंदी में मृतक बाबूलाल का नाम प्रार्थी के साथ पुनः सहवन से दर्ज कर दिया जाना प्रमाणित है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम निमाना की भूमि ख० नं. 868 रकबा 3.69 हेक्ट पर से हाल अंकित बाबूलाल पुत्र नाराण का नाम हटाया जाकर प्रार्थी रेवलाल पुत्र नाराण का हिस्सा 1/3 अंकित कर रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दि० 2/5/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 02/5/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	